


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3879-पीबीआर/15

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.10.2014 का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति निरस्त कर प्रकरण आदेश एवं तर्क हेतु नियत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल



R 3879-PBR/14

बदनसिंह उम्र करीब 70 आत्मज स्व0 चन्द्रपाल सिंह
निवासी ग्राम कांढईखुर्द तहसील इटारसी जिला होशंगाबादयाचिकाकर्ता

विरुद्ध

सरपंच ग्राम पंचायत दमदम जनपद पंचायत होशंगाबाद
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद.....उत्तरवादी

3654

पोस्ट द्वारा आपुनरीक्षण याचिका धारा 50 (1) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत

14-11-14 को प्राप्त

याचिकाकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायव तहसीलदार महोदय इटारसी के
जिसके अंतर्गत भूराजस्व प्रकरण क्रमांक 163/बी-121/2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक
20.10.2014 के क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित
आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के अंशान्त रूप